(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 118 / 2022 **जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 315**

1. सुनिल देवी पत्नी ईश्वर सिंह
2. सन्तोष यादव पत्नी कबूल सिंह
   समस्त जाति अहीर, निवासीगण रामसर, पचेरी बड़ी, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

........................वादीगण

बनाम

1. भादरमल उर्फ बहादूर पुत्र स्व० प्रभाती
2. कमला पुत्री स्व० प्रभाती
3. धर्मा पुत्री स्व० प्रभाती
4. मेवली पुत्री स्व० प्रभाती
5. सावित्रि पुत्री स्व० प्रभाती
6. भोजराम पुत्र स्व० रामोतार
7. तींजा पत्नी स्व० रामोतार
8. मनभावती पुत्री स्व० रामोतार
9. मनीषा पुत्री स्व० रामोतार
10. संजय पुत्र स्व० उमराव
11. भगवती पुत्री स्व० उमराव
12. शिला पुत्री स्व० उमराव
13. कबूला पुत्री स्व० उमराव समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण अलीपुर तन् पचेरी खुर्द, उपतहसील सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)
14. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

....................प्रतिवादीगण

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबतः– खाता विभाजन व कागजात दुरूस्ती

–ःनिर्णयः– दिनांकः– 10/12/25

(हस्ताक्षर)
**उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)**

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:—

1. यह कि वाके ग्राम अलीपुर, पटवार हल्का पचेरीखुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 50 के खसरा 310 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नं. 314 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नं. 315 रकबा 0. 6800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4800 हैक्टर भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं 1 लगायत 13 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर स्वतन्त्र रूप से सभी कि जानकारी में शान्ति पूर्वक काबिज काश्त हैं।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में दर्ज वर्णित भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/8—1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिस पर वह शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 का है।
3. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि का काश्त की सुविधा के अनुसार अपने—अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।
4. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित भूमि के शिर्ष में दर्ज समस्त प्रतिवादीगण की जाति गुर्जर है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से या भूलवश इनकी जाति यादव दर्ज कर दिया है। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 की जाती जमाबंदी में यादव दर्ज है उसके स्थान पर गुर्जर दर्ज किया जाकर इसी प्रकार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।
5. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा के लिए याद वर्णित भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर स्वतन्त्र रूप से सभी की जानकारी में बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं।
6. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि का काश्त के समय पक्षकारों में कम—ज्यादा को लेकर झगड़ा होता रहता है तथा सीमा का विवाद बना रहता है एवं खाता शामलाती रहने से वादीगण अपनी भूमि का विकास नहीं कर पा रहे है तथा राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जिससे वादीगण को काफी परेशानी हो रही है। वादीगण अपनी भूमि का विकास करना चाहती है, इसलिए वह अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहती है। प्रतिवादीगण की जाति गुर्जर के स्थान पर यादव दर्ज कर दिया है इसलिए उसे दुरूस्त करना आवश्यक है, इसलिए वादीगण को दावा खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

7. यह कि खातेदार केशरी देवी पत्नी रामजी का स्वर्गवास हो गया है उसके वारीसान प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 है तथा मेन्नी देवी का भी देहान्त हो चुका है उसके वारीसान प्रतिवादीगण सं. 11 लगायत 14 है। इसलिए उन्हें आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण बनाये गये है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम अलीपुर, पटवार हल्का पचेरी खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 50 के खसरा 310 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नं. 314 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नं. 315 रकबा 0.6800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4800 हैक्टर में से वादीगण प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्से का खाता विभाजन रास्ता कायम कर अलहैदा खाता किया जावे तथा लगान तय कर खाता विभाजन किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

(ख). कि वाके ग्राम अलीपुर, पटवार हल्का पचेरी खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 50 के खसरा 310 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नं. 314 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नं. 315 रकबा 0.6800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4800 हैक्टर में प्रतिवादीगण की जाति अहीर दर्ज है जो गलत दर्ज है, प्रतिवादीगण की वास्तविक जाति गुर्जर है जो उनके अन्य दस्तावेजात में दर्ज है। प्रतिवादीगण की जाति अहीर के स्थान पर गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा दिनांक 20.09.2022 को पेश किया गया। जवाब पेश नहीं हुआ जवाब हेतु कई अवसर दिये गये जवाब बंद किया जाता है। तथा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 25.03.2025 को लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय द[illegible] का [illegible] अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अ[illegible] वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री [illegible] तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु [illegible] क 333 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रां[illegible]4514 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075—2078 वाके ग्राम अलीपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 50 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—::आदेश::—

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अलीपुर, पटवार हल्का पचेरी खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 — 2078 के खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 310 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नंम्बर 315 रकबा 0.6800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4800 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ—1 लगायत अ—5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ—1 लगायत अ—5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 118 / 2022 **जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 315**

सुनिल देवी **बनाम** भावरमल आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री रोहित पोषवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अलीपुर, पटवार हल्का पचेरी खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 – 2078 के खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 310 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नंम्बर 315 रकबा 0.6800 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4800 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested